

प्रेस नोट जनपद फतेहपुर

दिनांक 04.04.2025

लूट/चोरी/धोखाधड़ी से सम्बंधित 13 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना कोतवाली, थाना औंग व थाना खागा पर समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिस 13 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगेगा।

थाना- कोतवाली नगर

खुलेआम सड़क पर लूट कर अनुचित तरीके से धन उपार्जित करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध आज दिनांक 04.04.2025 को थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 119/2025 धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0स0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	सुमित सोनी मुत्र सुनिल सोनी निवासी अमौली थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 22 वर्ष (गैंगलीडर)	लूट से सम्बंधित गैंग IR 21/25	06
2.	शिवम पुत्र अनिल निवासी अमौली थाना चांदपुर फतेहपुर बर्तमान पता रोटी गोदाम हाता थाना पिलखना जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष(सदस्य)	लूट से सम्बंधित गैंग IR-21/25	02
3.	दीपक पुत्र स्व0 चंद्रपाल निवासी अमौली थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर करीब 24 वर्ष (सदस्य)	लूट से सम्बंधित गैंग IR-21/25	06

थाना- खागा

लोगों से छल व धोखाधड़ी करके उनका सामान लेना व लूट करना तथा लूट का सामान बेचकर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध आज दिनांक 04.04.2025 को थाना खागा पर मु0अ0सं0 115/2025 धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैग्रेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0स0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	कासिम अली पुत्र सत्तार अहमद निवासी ग्राम करसुआ थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र 20 वर्ष (गैंगलीडर)	लूट, चोरी से सम्बंधित गैंग D-82/2025	05
2.	सुहैल उर्फ साहिल पुत्र गुड्डू उर्फ मुस्तकीन निवासी ग्राम दरियापुर थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर हाल पता निवासी ग्राम करसुआ थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र 22 वर्ष (सदस्य)	लूट, चोरी से सम्बंधित गैंग D-82/2025	05
3.	अशोक पासवान पुत्र स्व0 शिवमोहन निवासी ग्राम शाहपुर थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर उम्र 48 वर्ष (सदस्य)	लूट, चोरी से सम्बंधित गैंग D-82/2025	05
4.	शेरखान मोहम्मद पुत्र भोला मोहम्मद निवासी ग्राम करसुआ थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र 22 वर्ष (सदस्य)	लूट, चोरी से सम्बंधित गैंग D-82/2025	05
5.	अब्दुल पुत्र कल्लन निवासी ग्राम करसुआ थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र 22 वर्ष (सदस्य)	लूट, चोरी से सम्बंधित गैंग D-82/2025	05
6.	सक्षम गुप्ता पुत्र श्री हरिनारायण गुप्ता निवासी सर्राफा बाजार कस्बा व थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र 20 वर्ष (सदस्य)	लूट, चोरी से सम्बंधित गैंग D-82/2025	02
7.	. कल्लू पुत्र स्व0 राजबहादुर सोनी निवासी ग्राम सेमरहा थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर उम्र 50 वर्ष (सदस्य)	लूट, चोरी से सम्बंधित गैंग D-82/2025	03

थाना- औंग

जनपद फतेहपुर तथा आस पास के जनपदों में वाहन चोरी जैसे गम्भीर अपराध करते हैं तथा चोरी के वाहन को बेच कर सम्पत्ति अर्जित करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। उक्त गैंग के विरुद्ध आज दिनांक 04.04.2025 को थाना औंग पर मु0अ0सं0 39/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0स0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	अंकित पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम लच्छीखेडा रानी ताला थाना बकेवर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 22 वर्ष (गैंग लीडर)	वाहन चोरी से संबंधित गैंग D-83	02
2.	अखिलेश कुमार उर्फ अखिल पुत्र राजेन्द्र निवासी लच्छीखेडा रानी ताला थाना बकेवर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 21 वर्ष (सदस्य)	वाहन चोरी से संबंधित गैंग D-83	02
3.	सोहित पासवान पुत्र स्व0 राम नारायण निवासी कोटिया देवमई थाना मलवा जनपद फतेहपुर उम्र 22 वर्ष (सदस्य))	वाहन चोरी से संबंधित गैंग D-83	02

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर।